

न्यायालय:-माखनलाल झोड़, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला न्यायालय-बैहर

**C.R.A./12/2017**

F.No. CRA/414/2017

CNR0MP50050006662017

संस्थित दिनांक - 02.08.2016

बुधराम आयु 52 वर्ष पिता गेहरुसिंह जाति गोंड

निवासी-ग्राम सरईटोला/खजरा थाना गढ़ी तहसील बैहर

जिला-बालाघाट

----- अपीलार्थी ।

// विरुद्ध //

म0प्र0 शासन द्वारा :-वन परिक्षेत्र अधिकारी भैसानघाट कान्हा टाईगर

जिला बालाघाट

----- उत्तरवादी ।

=====

{न्यायालय:-श्री कैलाश शुक्ल, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट  
प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आप.प्रक.क्र.-691/2009 में पारित निर्णय  
दिनांक 19.07.2016 से परिवेदित होकर धारा 374 दं.प्र.सं. के  
अंतर्गत यह दण्डिक अपील प्रस्तुत की है}

=====

श्री आर0के0 चौहान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी-बुधराम ।

श्री अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते उत्तरवादी/राज्य ।

-----

- // // निर्णय // // -

(आज दिनांक 11 नवम्बर 2017 को घोषित)

1. अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा यह अपील धारा 374 द.प्र.सं. के, श्री बुधराम, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 691/2009 शासन बनाम बुधराम, में पारित निर्णय एवं दण्डाज्ञा दिनांक 19.07.2016 से परिवेदित होकर पेश की गई है।

2. परिवादी के परिवाद का सार यह है कि दिनांक 07.09.2009 को वन परिक्षेत्र सहायक, वन रक्षक चमन कुमार व अन्य मातहत कर्मचारी वन कक्ष क्रमांक 113 ज्वारापानी क्षेत्र में गश्त करने के लिए गए हुए थे तब उन्हें पेड़ काटने की आवाज सुनाई दी जाने पर घेराबंदी की, एक व्यक्ति गीला वृक्ष काटकर बल्ली बनाते हुए दिखा जिसे मौके पर पकड़ लिया पूछने पर उसने अपना नाम बुधराम पिता गेहरु सिंह गोंड उम्र 45 वर्ष निवासी सरईटोला थाना

गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट का होना बताया। घूमकर देखने पर 6 वृक्ष हरे, गीले साल प्रजाति के वृक्ष गिराकर बल्ली बनाया था जो मौके पर पंचनामा बनाकर जप्त की गई, जप्ती पत्र बनाया गया, बल्लियों के नाप का पंचनामा बनाया गया, पी.ओ.आर. नंबर 2944/21 काटा गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया, साक्षीगण के कथन लेख किए गए, कूप क्रमांक 113 के नक्शे की ट्रेस प्रति तैयार की गई, जिसमें घटनास्थल दर्शाया गया, कार्यवाही पूर्ण कर परिवाद पत्र पेश किया गया।

3. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि अभिलेख पर आयी साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन न करते हुए विधि विपरीत निष्कर्ष निकालकर त्रुटि की है। प्रतिपरीक्षण में दिए गए सुझावों को अनदेखा किया गया है, जप्ती के साक्षी सुखदेव, संत कुमार ने हस्ताक्षर कार्यालय में करना साक्ष्य दी है। मौके का पंचनामा, जप्तीनामा विधि अनुसार प्रमाणित न होते हुए प्रमाणित मानकर त्रुटि की है, पारित निर्णय एवं दण्डाज्ञा त्रुटिपूर्ण है, हितबद्ध साक्षियों के कथन के आधार पर आलोच्य निर्णय पारित किया गया है, निर्णय अपास्त कर अपील स्वीकार की जाकर दोषमुक्त किए जाने की याचना की है।

4. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

**क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दा.प्र. क.691/2009, शासन विरुद्ध बुधराम निर्णय दिनांक 19.07.2016 को अपीलार्थी के विरुद्ध पारित निर्णय में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य निर्णय हस्तक्षेप योग्य है ?**

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

5. उमर मोहम्मद खान (प.सा.1) ने मुख्य कथन के पद क्रमांक 1 से 4 में साक्ष्य दी है कि दिनांक 07.09.2009 को परिक्षेत्र कुगांव में पदस्थ था। उक्त दिनांक को साक्षी के साथ वनरक्षक चमन कुमार बघेल तथा 2 श्रमिक संतकुमार, सुखदेव गश्त पर गए थे। वे कक्ष क्रमांक 113 जमनापानी नामक स्थान पर गश्त कर रहे थे, उन्हें कुल्हाड़ी की आवाज आयी, साक्षीगण ने घेरा डाला, साक्षी आरोपी को जानता है, अपराधी को साल के वृक्ष काटते हुए पकड़े, वहां इधर-उधर घूमकर देखे तो 6 नग साल की लकड़ी आरोपी पूर्व में काट चुका था, साक्षी ने मौके का पंचनामा प्र.पी. 1 बनाया था जिस पर हस्ताक्षर है,

साक्षियों के हस्ताक्षर कराए गए थे। साक्षी के समक्ष चमन ने प्र.पी. 2 का पंचनामा बनाया था जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। आरोपी के विरुद्ध पी.ओ. आर. चमन कुमार ने प्र.पी. 3 का काटा था जिस पर साक्षी के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर हैं। आरोपी ने उक्त बल्लियों उसके घर के उपयोग हेतु काटना बताया था, कथन प्र.पी. 4 है जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

6. अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 6 का साक्षी के द्वारा बनाया गया था जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। सुखदेव, संतकुमार के बयान प्र.पी. 7, प्र.पी. 8 के उनके बताएनुसार साक्षी ने लेख किए थे जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। जप्त बल्लियों की सूची प्र.पी. 9 की साक्षी ने बनाई थी जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल का नक्शा प्र.पी. 10 का बनाया था जिस पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में स्वीकार किया है कि प्र.पी. 10 का नक्शा कार्यालय में मूल नक्शे की प्रति कर बनाया है। यह स्वीकार किया है कि सरईटोला-ज्वारपानी की सीमा से ग्राम सरईटोला के कृषकों की जमीन लगी हुई है। यह इंकार किया है कि आरोपी स्वयं की जमीन/खेत से लकड़ी काटा था। यह इंकार किया है कि खेत से घर ले जाते समय आरोपी को पकड़ा था। यह इंकार किया है कि प्र.पी. 1, प्र.पी. 2 की कार्यवाही नाके पर बैठकर की थी। आरोपी के विरुद्ध झूठा मामला बनाना इंकार किया है।

7. आरोप पश्चात् साक्ष्य और प्रतिपरीक्षण में पद क्रमांक 9 में साक्षी ने चमन कुमार द्वारा आरोपी बुधराम से 6 नग गीले साल के वृक्ष, 1 नग कुल्हाड़ी बेसा सहित कक्ष क्रमांक 113 जवारा बीट में जप्त किया था जो स्थान कान्हा नेशनल पार्क के कोर क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बचाव पक्ष द्वारा किए गए सुझाव को इंकार किया है।

8. सुखदेव (प.सा.2), चमन कुमार (प.सा.3), संतकुमार (प.सा.5) ने मौके संबंधी कार्यवाही बाबद् अपने-अपने कथनों में साक्ष्य देकर उमर मोहम्मद खान (प.सा.1) के कथनों की पुष्टि की है। प्रतिपरीक्षण में इन तीनों साक्षियों की साक्ष्य का खंडन नहीं है।

9. सी.आर. उइके (प.सा.4) वन परिक्षेत्र अधिकारी ने अभियोग पत्र पेश किया है और उमर मोहम्मद खान (प.सा.1) एवं चमन कुमार (प.सा.3) द्वारा

की गई कार्यवाहियों का सत्यापन किए जाने का कथन है जिसका प्रतिपरीक्षण में खंडन नहीं है।

10. अपीलार्थी की ओर से श्री आर.के. चौहान अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। प्र.पी. 10 का नक्शा प्रति और कूप नंबर 113 नेशनल कान्हा रिजर्व पार्क के क्षेत्र के अधीन स्थित है।

11. धारा 27 प्रतिबंधित पार्क के क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक लगाता है। कूप नंबर 113 में अपीलार्थी को प्रवेश करने पर साल का पेड़ काटने की आवाज के आधार पर अभियोजन साक्षियों ने घेरकर पकड़ा था अर्थात् वह प्रतिबंधित क्षेत्र में घटना दिनांक, समय पर उपस्थित था इसलिए उसने धारा 27 का अपराध किया है। साथ ही अपीलार्थी के पास कोई अनुज्ञप्ति न होने के पश्चात् भी उसने प्रवेश किया है और प्रतिबंधित के वृक्षों को हटाने का अपराध किया है जो धारा 29 के अधीन है, धारा 30 प्रतिबंधित क्षेत्र में औजार के साथ प्रवेश करने से रोकती है। प्रकरण के अनुसार कुल्हाड़ी जो कि औजार है, को लेकर वह कक्ष क्रमांक 113 में प्रवेश किया था जो धारा 31 का उल्लंघन है।

12. धारा 35 नेशनल पार्क घोषित किए जाने के संबंध में है जिसकी उपधारा 6 में नेशनल पार्क से वन उत्पाद हटाने से रोकती है जिसके कारण वन्य प्राणी अपने स्वभावगत आवास से वंचित होते हैं तथा उपधारा 8 धारा 27, 31 के प्रावधान नेशनल पार्क के लिए भी लागू होते हैं अर्थात् धारा 27 एवं 31 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम का जो अपराध है वह धारा 35 उपधारा 6 एवं 8 के अधीन भी समान अपराध है जो उपलब्ध साक्ष्य से अपीलार्थी द्वारा किया जाना अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित पाने में विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि नहीं की है, विधि की त्रुटि नहीं की है, इसलिए दोषसिद्धि के निष्कर्ष में हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

13. अपील में किए गए तर्क के समय श्री आर.के. चौहान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया कि मामला लंबे समय से चला है, अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है, अपील में उपस्थित हुआ है, कारावासीय दण्ड से दंडित न कर केवल अर्थदण्ड से दंडित किए जाने की याचना की है।



14. राज्य की ओर से श्री अभिजीत बापट ए.पी.पी. द्वारा तर्क में निवेदन किया गया है कि केवल अर्थदण्ड से दंडित किए जाने से अपीलार्थी का मनोबल बढ़ेगा, पुनः अपराध करेगा, इसलिए कारावासीय दण्ड भी अधिरोपित किया जाना अनिवार्य है।

15. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का अध्ययन किया गया जिसमें 3 वर्ष तक के कारावास या अर्थदण्ड जो 25000/—रुपए तक का है, से दंडित किए जाने का विधिक प्रावधान है, को विचार में लिया गया।

16. उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर और अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्धि के निष्कर्ष की पुष्टि करते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावासीय दण्ड को अपास्त कर धारा 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अधीन केवल 10,000/—(दस हजार)रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अपीलार्थी को 09 माह का कारावास भुगताया जावे।

17. अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष रसीद बुक क्रमांक 23152 के रसीद क्रमांक 100 दिनांक 19.07.2016 को 1,000/—(एक हजार) रुपए की राशि जमा की है शेष राशि 9,000/—(नौ हजार) रुपए जमा करने पर अर्थदण्ड राशि जमा करने की रसीद जारी की जावे।

18. जप्तशुदा संपत्ति बाबद विचारण न्यायालय के निर्णय की कंडिका क्रमांक 22 की पुष्टि की जाती है।

19. निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर परिणाम दर्ज करने हेतु भेजा जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे डिक्टेशन पर टंकित  
किया गया।

सही/—

**(माखनलाल झोड़)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही/—

**(माखनलाल झोड़)**

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर